राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–701/2025

पवन कुमार जोगी

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–तृतीय लेवल–द्वितीय सामाजिक विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Jat Baroda, ब्लॉक गंगापुरसिटी, जिला गंगापुरसिटी में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण शहीद ओमप्रकाश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Kemru नादोती, गंगापुरसिटी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–289 का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पंचायत समिति, बौंली, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 10.09.2012 के द्वारा की गई थी। अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का कर्मचारी है। अपीलार्थी को शिक्षा विभाग द्वारा स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम–6(D)/नये नियमों में 6(iii) के तहत पंचायतीराज विभाग से शिक्षा सेवा नियमों में चयन कर लिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का विभाग परिवर्तित किया जा चुका है और अपीलार्थी की सेवाएं शिक्षा विभाग में परिवर्तित की जा चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–289 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी का स्थानान्तरण शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)